(18)

संख्या : /IV(1)/2010–389(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

निधि मणि त्रिपाठी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक :29 मार्च,2011

विषयः **कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग रूड़की के कार्यों की अवशेष धनराशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1673/IV(1)/2009–389(कुम्भ)/2009 दिनांक 03.02.2011 द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन ₹ 125.16लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त ₹ 125.16लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रथम किश्त के रूप में ₹ 40.00लाख(₹ चालीस लाख मात्र) को व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या–8966 / कु0मे0/2010/लेखा/उ0प्र0प0 दिनांक 18.01.2011 के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त कार्य हेतु स्वीकृत लागत के विरूद्व एल–1 की राशि के सापेक्ष अवशेष समस्त धनराशि **₹ 68.97 लाख (₹ अड़सठ लाख सतानवे हजार)** मात्र को ह0वि0प्रा0 के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि से आहरित कर वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा। यदि पूर्व अवमुक्त धनराशि बैंक में रखकर उस पर ब्याज अर्जित हुआ है तो उस समस्त अर्जित ब्याज को राजकोष में ट्रेजरी चालान से जमा करके उसकी फोटोप्रति शासन को अविलम्ब उपलब्ध करवाने का दायित्व मेलाधिकारी का ही होगा।
2. चूँकि निविदा में प्राप्त एल–1 निविदा (न्यनतम निविदा) आधार पर स्वीकृत लागत से कम धनराशि व्यय होना संभावित है, अतः न्यूनतम सम्भावित व्यय के अनुसार ही धनराशि आहरण की जाएगी तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि बचत होती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा।
3. अन्तिम किश्त का न्यूनतम निविदा (एल–1) का विवरण देकर उसी के अनुसार ही स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
4. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा और आगणन का पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।
5. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2011 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

8. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
9. कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूडकी एवं मेलाधिकारी, हरिद्वार पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 436/IV(1)/2010–39(साम0)/2006–टी0सी0 दिनांक 25.3.2010 के द्वारा मेलाधिकारी, हरिद्वार के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 108.5590करोड के सापेक्ष किया जायेगा एवं पुस्तांकन तद्स्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं.–879/XXVII(2)/2011 दिनांक 28 मार्च,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(निधि मणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।

संख्या :– 83 /(1)/IV(1)/2011 तद्दिनांक। २१/३/११

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूडकी।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।